वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2016-फाल्गुन 7, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा नाम एड. वीरेन्द्र कुमार ठाकुर आत्मज विश्वम्भर सिंह सभी दस्तावेजों में है. अब आज से मेरा सरनेम (उपनाम) वीरेन्द्र कुमार ठाकुर के स्थान पर वीरेन्द्र कुमार सिंह हो गया है. आज से मेरा नाम सभी दस्तावेजों में वीरेन्द्र कुमार सिंह आत्मज विश्वम्भर सिंह के नाम से लिखा एवं पढ़ा जावे तथा जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(वीरेन्द्र कुमार ठाकुर)

नया नाम :

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
आत्मज विश्वम्भर सिंह,
निवासी—ग्राम व पोस्ट मारबोड़ी,
जिला सिवनी (मध्यप्रदेश).

(630-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं कु. संध्या किवे पिता स्व. श्री गोविन्द राव किवे यह घोषणा करती हूँ कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. संध्या किवे पिता श्री गोविन्द राव किवे था, जो मेरे समस्त प्रमाण-पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 24-02-1980 को श्री प्रदीप चांदोरकर, निवासी राजीव वार्ड, सिविल लाईन्स, नरसिंहपुर के साथ हो जाने के बाद मुझे श्रीमति ज्योति चांदोरकर के नाम से जाना जावे व मेरे समस्त दस्तावेजों में लिखा जावे.

पुराना नाम :

(कु. संध्या किवे)

नया नाम :

(ज्योति चांदोरकर)

(631-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि रेखा पिता राजाराम सिंह, उम्र 30 वर्ष, व्यवसाय गृहणी, वर्तमान पता-पिन्टो पार्क, ग्वालियर की हूँ. मेरा विवाह दिनांक 20-05-2005 को श्री अभिलाख सिंह पुत्र श्री रामवतार सिंह, उम्र-35 वर्ष, व्यवसाय आर्मी सेवारत, निवासी—ग्राम सौरा, तहसील अटैर, जिला भिण्ड के साथ हुआ है और वर्तमान पता-न्यू राम विहार कॉलोनी, पिन्टू पार्क, गोला का मन्दिर, ग्वालियर है. विवाह के पूर्व से मुझे रेखा के नाम से जाना जाता था, विवाह के पश्चात से मुझे रानी के नाम से जाना जाता है. इस प्रकार मेरा विवाह के पश्चात से नाम रेखा के

स्थान पर रानी पत्नी अभिलाख सिंह पुत्री श्री राजाराम सिंह हो गया है. विवाह के पश्चात से मेरे द्वारा होने वाले प्रत्येक समव्यवहार रानी के नाम से होने आ रहे हैं. अत: इस प्रकार मेरा ''रेखा'' के नाम परिवर्तन होकर ''रानी'' हो चुका है. मेरा स्थायी पता ग्राम सौरा, तहसील अटैर, जिला भिण्ड है. वर्तमान पता न्यू रामविहार कॉलोनी, पिन्टू पार्क, गोला का मन्दिर, ग्वालियर है. यह सर्व विदित हो.

संजय कुमार शर्मा,
एडवोकेट.
ज्येन्द्रगंज पारसमणी मॉल, ग्वालियर (म.प्र.).

(632-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अवयस्क पुत्र करन गेही, निवासी-73, लाडकाना नगर, इन्दौर (म.प्र.) का नाम बदलकर करन गेहानी (KARAN GEHANI) रख लिया है. अत: भविष्य में मेरे पुत्र को करन गेहानी के नाम से जाना-पहचाना जाए. सो विदित होवे.

(शुनील कुमार गेहानी)
73, लाडकाना नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(633-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम मुस्ताक खान व 12वीं की अंकसूची में मेरा नाम मुस्ताक खाँ खान मंसूरी अंकित है. जबकि अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मोहम्मद मुस्ताक मंसूरी अंकित है जो कि सही है.

अत: भविष्य में मुझे मोहम्मद मुस्ताक मंसूरी के नाम से जाना पहचाना व लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(मुस्ताक खाँन/मुस्ताक खाँ खाँन मंसूरी)

नया नाम :

(मोहम्मद मुस्ताक मंसूरी)
पुत्र श्री काले खाँ,
लक्कड़खाना, इंगले की गोठ,
लश्कर, ग्वालियर.

(634-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Smt. Nisha kamrani have changed my name from Nisha kamrani to Nisha Arora by affidavit sworn before the Notary Public, Bhopal Madhya Pradesh. Henceforth, I shall be known as Nisha Arora for all purposes.

Old Name :

(NISHA KAMRANI)

F-108/3, Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.).

(635-B.)

New Name :

(NISHA ARORA)

F-108/3, Shivaji Nagar,
Bhopal (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, RAJENDRA KUMAR YADAV S/o SUKHDEV PRASAD YADAV यह सूचित करता हूँ कि मेरे पासपोर्ट क्र. A-2425834, जारी दिनांक 03-09-1997 वैधता, दिनांक 02-09-2007 में मेरा नाम RAJENDRA KUMAR लिखा हुआ है जबकि मेरा पूरा नाम RAJENDRA KUMAR YADAV है जो कि मेरी शासकीय सेवा पुस्तिका, पेनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता सभी में दिया हुआ है. अत: मेरे नाम को RAJENDRA KUMAR YADAV ही पढ़ा एवं समझा जावे.

पुराना नाम :

(RAJENDRA KUMAR)

(राजेन्द्र कुमार)

नया नाम :

(RAJENDRA KUMAR YADAV)

(राजेन्द्र कुमार यादव)
पता—मकान नं. 930, अहिर मोहल्ला, हाऊबाग,
गुरूद्वारा गोरखपुर, जबलपुर (म.प्र.).

(636-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स रमेश कुमार बिहारी लाल, पता-106, शिवपुरा बैरसिया, भोपाल (म.प्र.) जो कि रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसाइटीज मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 1442/1979/80, दिनांक 19-10-1979 पर पंजीयत फर्म है, जिसका गठन भागीदार श्रीमती रामप्यारी बाई साहू पति श्री बटन लाल साहू एवं रमेश कुमार साहू पिता श्री बटन लाल साहू एवं बिहारी लाल साहू पिता श्री बटन लाल साहू की भागीदारी में किया गया था. दिनांक 01-04-1998 को श्रीमती रामप्यारी बाई साहू पति श्री बटन लाल साहू स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गई थी एवं 01-04-1998 से उनके स्थान पर सुरेश कुमार साहू पिता श्री बटन लाल साहू भागीदार हो गए थे.

इसके पश्चात दिनांक 31-03-2012 को श्री बिहारी लाल साहू पिता श्री बटन लाल साहू स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गए हैं. अत: वर्तमान में फर्म श्री रमेश कुमार साहू पिता श्री बटन लाल साहू एवं सुरेश कुमार साहू पिता श्री बटन लाल साहू की भागीदारी में संचालित की जा रही है. फर्म का पता दिनांक 01-04-1998 से 106, शिवपुरा, बैरसिया से परिवर्तित होकर मैसर्स महालक्ष्मी दाल मिल विदिशा रोड बैरसिया, जिला भोपाल हो गया है.

प्रदीप कुमार शर्मा,
अधिवक्ता.
ए-48, डॉ. अम्बेडकर कॉलोनी,
ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल-462023

(637-बी.)

आम सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिवा टूल्स इन्जीनियरिन्ग, भोपाल पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0278/सन् 2015-2016, दिनांक 12-10-2015 उक्त फर्म के दोनो भागीदारो की सहमति से दिनांक 15-01-2016 से भंग कर दी गई है, तदानुसार सूचित हों.

सूचितकर्ता
वास्ते-मेसर्स शिवा टूल्स इन्जीनियरिन्ग,
बिवेकानंद सरकार,
(Partner).
154-ए, सेक्टर-एच. इन्डस्ट्रीयल एरिया,
गोविन्दपुरा, भोपाल.

(638-बी.)

आम सूचना

सभी शासकीय अर्ध शासकीय एवं प्राइवेट निर्माण एवं सप्लाई विभागों को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स माँ लक्ष्मी कन्ट्रक्शन कम्पनी, ग्राम मुहरई, तहसील हटा, जिला दमोह फर्म से पार्टनर श्री संतोष कुमार गुप्ता आत्मज श्री नर्बदा प्रसाद गुप्ता, निवासी-अरविंद साधनालय के पास टिकुरिया मोहल्ला, पन्ना, जिला पन्ना, दिनांक 30-06-2015 से उपरोक्त फर्म से पूर्ण रूप से अलग हो गये हैं. अत: दिनांक 30-06-2015 से मेसर्स माँ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन कम्पनी, ग्राम मुहरई, तहसील हटा, जिला दमोह नाम से कोई लेन-देन नहीं करेंगे यदि कोई शासकीय अर्ध शासकीय एवं प्रायवेट व्यक्ति इस फर्म के नाम पर कोई भी लेनदेन करता है तो उसकी स्वयं की जबावदारी होगी फर्म 30-06-2015 से किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी पार्टनर महेश कुमार पटेल मेसर्स माँ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन कम्पनी मुहरई द्वारा.

अभय जैन,
(एडवोकेट)
दमोह (म.प्र.).

(639-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 28 जनवरी, 2016

क्र. 288/री.ए.डी.एम./2016.—अति. पुलिस अधीक्षक, यातायात, इन्दौर द्वारा अपने प्रतिवेदन द्वारा अवगत कराया गया कि इन्दौर शहर के अन्दर नवलखा से अग्रसेन होकर लोहा मण्डी एवं अनाज मण्डी की ओर प्रतिदिन प्रात: एवं संध्याकाल में भारी वाहनों का लगातार आवागमन होता रहता है. अग्रसेन चौराहा पर छावनी, टॉवर चौराहा एवं नवलखा चौराहा तरफ से आने वाले वाहनों का दवाब अत्यधिक रहता है, विशेषकर स्कूल/कॉलेज, शासकीय कर्मचारियों, प्रायवेट व्यक्तियों एवं व्यापारियों के आवागमन का प्रमुख मार्ग होने से प्रात: 8.00 बजे से दोप. 12.00 बजे एवं सायं 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे के मध्य यातायात का अत्यधिक दबाव इस क्षेत्र में रहता है और सदैव दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. इस मार्ग पर सामान्य वाहनों के साथ-साथ भार वाहनों के परिवहन के कारण दुर्घटनाओं की आशंका के साथ-साथ सदैव जाम की स्थिति बनी रहती है.

2. इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा निरंजनपुर में स्कीम नं. 78 में न्यू लोहा मण्डी को विकसित कर दिया गया है. लोहा मण्डी व्यापारी एसो. द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार, आई. डी. ए. द्वारा लोहा मण्डी व्यापारियों को प्लाट भी आवंटित किये जा चुके हैं. उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नवलखा से अग्रसेन होकर लोहा मण्डी में भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित/प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

3. प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया. प्राप्त प्रस्ताव से सहमत होते हुए मोटरयान नियम-1994 के नियम-215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में मैं, पी. नरहरि, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर निम्नानुसार व्यस्तम मार्ग पर उनके सामने दर्शाये गये समय एवं अवधि में ट्रक/भारवाही वाहनों के इन्दौर शहर में आवागमन को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतिबन्धित करता हूँ:—

क्र.	मार्ग	प्रतिबंधित समय एवं अवधि	रिमार्क
1.	नवलखा से अग्रसेन चौराहा होकर लोहा मण्डी में आने-जाने वाले ट्रक/भारवाही वाहनें.	पूर्णकालिक.	केवल लोहा मण्डी से संबंधित लोहे वाले वाहनों के लिये यह प्रतिबंध रहेगा.
2.	नवलखा से अग्रसेन होकर अनाज मण्डी में आने-जाने वाले ट्रक/भारवाही वाहनें.	प्रात: 8.00 बजे से दोप. 12.00 बजे व सांय 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक.	केवल अनाज मण्डी से संबंधित वाहनों के लिये यह छूट/प्रतिबंध लागू रहेगा.

1. यह प्रतिबंध केवल भार वाहनों के लिये है, शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप तथा दुपहिया वाहन यथावत् पूर्ववत् चालू रहेंगे.

2. उपरोक्त आदेश विभिन्न विभागों तथा जन-सामान्य आदि से प्राप्त सूचनाओं तथा अन्य निष्कर्षों के आधार पर उक्त आदेश को पूर्णत:/अंशत: यथा अपेक्षित संशोधित किया जा सकेगा. यह आदेश एक मास की अवधि तक प्रभावशील रहेगा, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति आदि प्राप्त न होने पर यह अधिसूचना स्वत: अमल में आवेंगी.

पी. नरहरि,
(133) जिला दण्डाधिकारी.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला छतरपुर

प्र. क्र. 02/बी-113/2015-16. छतरपुर, दिनांक 3 फरवरी, 2016

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 क 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

लोक न्यासों के पंजीयक (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग छतरपुर), जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि:—

क्र.	नाम	पता	पद
1	2	3	4
1.	ट्रस्ट का संस्थापक व संरक्षक तहसीलदार, छतरपुर पदेन	तहसील छतरपुर	संस्थापक व संरक्षक
2.	श्री दिनेश कुमार मिश्रा तनय श्री रामसेवक मिश्रा	बस स्टेण्ड, छतरपुर	अध्यक्ष
3.	श्री भगवत शरण अग्रवाल तनय झल्लू प्रसाद अग्रवाल	जटाशंकर होटल, छतरपुर	उपाध्यक्ष वरिष्ठ
4.	श्री नरेन्द्र कुमार त्रिवेदी, तनय आर. डी. त्रिवेदी	छतरपुर	उपाध्यक्ष
5.	श्री रामस्वरूप दुबे तनय शिवप्रसाद दुबे	चेतगिरि कॉलोनी, छतरपुर	सचिव
6.	श्री श्याम बिहारी पटवा तनय श्री स्व. बाबूलाल पटवा	सीताराम कॉलोनी, छतरपुर	कोषाध्यक्ष
7.	श्री मदन अग्रवाल तनय श्री राधेलाल अग्रवाल	चेतगिरि कॉलोनी, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
8.	श्री विशाल दुबे तनय हल्के प्रसाद दुबे	असाटी मुहल्ला, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
9.	श्री ज्ञानी कुशवाहा तनय श्री नत्थू सिंह	गोल्डन पैलेस के पीछे, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य

1	2	3	4
10.	श्री जागेश्वर असाटी तनय दयाराम	चेतगिरि कॉलोनी, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
11.	श्री पुन्नू विश्वकर्मा तनय मातादीन विश्वकर्मा	गुप्ता लॉज के पीछे, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
12.	श्री मुन्नालाल गुप्ता तनय श्री शंकरलाल गुप्ता	हटवारा मुहल्ला, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
13.	श्री दीपेन्द्र चौरसिया तनय मोहन लाल	दूधनाथ कॉलोनी, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
14.	श्री मनोज साहू तनय लक्ष्मन प्रसाद साहू	गैस एजेन्सी के पास, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
15.	श्री सुनील विसवारी तनय रामदास विसवारी	मऊ दरवाजा, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
16.	श्री रमेश कुमार चौरसिया तनय स्व. श्री ज्ञानचंद्र चौरसिया	चेतगिरि कॉलोनी, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
17.	श्री प्रमोद श्रीवास्तव तनय गजाधर श्रीवास्तव	बजरंग नगर, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
18.	श्री कमलेश असाटी तनय शिवदयाल असाटी	असाटी मुहल्ला, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
19.	श्री कमल गुप्ता तनय लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता	गुप्ता लाज, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
20.	श्री पुरुषोत्तमदास गुप्ता तनय श्री बाबूलाल	बस स्टेण्ड, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
21.	श्री हेमन्त विश्वकर्मा तनय गोविन्ददास	गुप्ता लॉज के पास, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
22.	श्री बलकार सिंह तनय चमन सिंह	सिद्ध गनेश मंदिर के पास, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
23.	श्री महेन्द्र नीखरा तनय मोहन लाल	गल्ला मण्डी, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
24.	श्री नीरज मौर्य तनय श्री लक्ष्मनदास	फब्बारा चौक, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
25.	डॉ. नरेन्द्र पाण्डेय तनय श्री सुन्दरलाल पाण्डेय	सटई रोड, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
26.	श्री श्रीराम नोगरिया तनय स्व. मकुन्दीलाल	बजरिया छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
27.	श्री मोहन लाल तिवारी	सीताराम कॉलोनी, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
28.	लक्ष्मन कुशवाहा तनय कडोरे कुशवाहा	पठापुर रोड, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
29.	नीरज तिवारी तनय रामहित तिवारी	संकट मोचन, छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
30.	रविन्द्र दुबे तनय जानकी दुबे	छतरपुर	ट्रस्टी सदस्य
31.	नगर पुलिस अधीक्षक,	छतरपुर	पदेन सदस्य
32.	राजस्व निरीक्षक,	तहसील छतरपुर	पदेन सदस्य
33.	पटवारी सदर	तहसील छतरपुर	पदेन सदस्य

1. चूंकि आवेदक/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री श्री 1008 श्री भैरों बाबा पब्लिक ट्रस्ट तहसील व जिला छतरपुर, म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट के लोक न्यास पंजीयन हेतु ट्रस्ट एक्ट, 1951 के अधीन आवेदन-पत्र दिया गया है. एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन पत्र पर दिनांक 8 मार्च, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जावेगा. इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता . . श्री श्री 1008 श्री भैरों बाबा पब्लिक ट्रस्ट बस स्टेण्ड चौक के पास, छतरपुर, (म. प्र.).

2. सम्पत्ति का विवरण—

चल सम्पत्ति:—

1. श्री गणेश जी की प्राचीन पाषाण की मूर्ति
2. ऊँ श्री शंकर जी बडे एवं छोटे प्राचीन मूर्ति जो प्राचीन पाषाण से निर्मित है.
3. चरण पादिका प्राचीन पाषाण की.
4. श्री श्री 1008 श्री भैरों बाबा की मूर्ति प्राचीन पाषाण की.

अचल सम्पत्ति:—

1. भूमि खसरा नं. 650/2 मौजा स्थित छतरपुर जो शासन की भूमि दर्ज है पर मंदिर का निर्माण जो हजारों वर्षों से निर्मित है.

डी. पी. द्विवेदी,

(134) रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, जिला नीमच

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्रीमती डॉ. गायत्री गुर्वेन्द्र पति अमृत गुर्वेन्द्र, निवासी अगस्त भवन ए-2, म. न. 15, गायत्री कुंज शांतिकुंज हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 04 मार्च, 2016 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 04 मार्च, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अन्दर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	..	"श्री अम्बिका चेरेटीबल ट्रस्ट" अम्बिका भवन प्रायवेट बस स्टेन्ड, नीमच (म. प्र.)
अचल संपत्ति	..	निरंक.
चल संपत्ति	..	रु.5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र)

दिनांक 30 जनवरी, 2016.

(135)

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्री दुर्गाशंकर पिता लक्ष्मण जी कोली, निवासी म. न. एल-15 मांगलिक भवन के सामने इंदिरानगर, नीमच (म. प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 04 मार्च, 2016 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अत: मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 04 मार्च, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	..	"श्री अम्बा माता आरोग्य आश्रम सेवा न्यास ट्रस्ट" ग्राम निपानिया आबाद पोस्ट सेमली, चन्द्रावत तह. जिला नीमच (म. प्र.).
अचल संपत्ति	..	निरंक.
चल संपत्ति	..	रु.5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र)

दिनांक 30 जनवरी, 2016.

आदित्य शर्मा,
पंजीयक.

(135-A)

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-कोतवाली, जबलपुर

प्रकरण क्र. 04/बी-113/2015-20.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 (2) के अंतर्गत]

आवेदक जबलपुर डायोसेशन ट्रस्ट ऐसोशियेशन जबलपुर की ओर से न्यासी श्री प्रेमचंद सिंह पिता श्री बी. सिंह, निवासी 2131, नेपियर टाउन, जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 नियम-4 (2) के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 11 फरवरी, 2016 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की संपत्ति का विवरण, लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम एवं पता .. जबलपुर डायोसेशन ट्रस्ट ऐसोशियेशन जबलपुर, 2131, नेपियर टाउन, जबलपुर
2. चल सम्पत्ति .. रु. 2,36,848.
3. अचल सम्पत्ति (1) संपत्ति कटनी स्थित खसरा नं. 154, 169, 172 ग्राम ढ्डरी रा. नि. मं. बिलहरी तह. रीठी, जिला कटनी.
   (2) संपत्ति सतना स्थित खसरा नं. 88/1625/1/क/1/क/2 ग्राम नांदनटोला प. ह. न. 27 रा. नि. मं. अमर पाटन, जिला सतना.
4. न्यास की आय का साधन .. दान द्वारा.

दिनांक 25 जनवरी, 2016.

अंकुर मेश्राम,
अनुविभागीय अधिकारी.

(136)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन

गौहरगंज, दिनांक 27 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) एवं पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष-रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.

जैसा कि आवेदक ब्रम्हऋषि जन कल्याण न्यास ओबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2016 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या ट्रस्ट की सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता .. ब्रम्हऋषि जन कल्याण न्यास ओबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, (म. प्र.). ब्रम्हऋषि जन कल्याण न्यास, कार्यालय भवन क्रमांक 3 वार्ड क्र. 2 महावीर नगर गायत्री मन्दिर के पास हिरानियां ओबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.
2. अचल सम्पत्ति का विवरण .. निरंक.
3. चल सम्पत्ति .. 1,11,111/- (एक लाख, ग्यारह हजार, एक सौ ग्यारह रुपये) बैंक खाते में.

राजेश श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी.

(137)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक सोहागपुर, जिला शहडोल

सोहागपुर, दिनांक 02 फरवरी, 2016

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5 (1)]

यत: कि श्री दिलीपराज द्विवेदी पिता स्व. तेजराज द्विवेदी प्रभा पत्नी दिलीपराज द्विवेदी, दिव्यांस द्विवेदी पिता दिलीपराज द्विवेदी, निवासी वार्ड नम्बर 09, शहडोल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन एवं संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा राजपत्र में प्रकाशन हेतु सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 01 मार्च, 2016 को समय 10.30 बजे को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अत: तत्संबंध में किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करे और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख को व्यक्तिश: अथवा अभिकर्ता अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम व पता	. .	तेजराज द्विवेदी सेवा प्रकल्प वार्ड नम्बर 09, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म. प्र.).
2. अचल सम्पत्ति का विवरण	. .	निल.
3. चल सम्पत्ति	. .	देना बैंक शहडोल में जमा राशि रुपये 1,12,285.00.

आज दिनांक 02 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. एल. चनाप,
अनुविभागीय अधिकारी.

(138)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, उपखण्ड आलोट, जिला रतलाम

आलोट, दिनांक 02 फरवरी, 2016

प्रारूप-चतुर्थ

[देखिये नियम पाँच (एक)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 एक का अधिनियम तीसवां की धारा-5(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम-5(1)अनुसार]

क्र./284/री-1/16.—चूंकि श्री जोगणीया माता कुण्ड सेवा ट्रस्ट बरखेडाकला, तहसील आलोट, जिला रतलाम द्वारा अध्यक्ष श्री ठाकुर पीरूसिंह राठौर पिता दुलेसिंह जाति राठौर, निवासी-बरखेडाकला अन्य-1 ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अनुसार नीचे दर्शाई गई सम्पत्ति एवं पब्लिक ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. अतएव सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में नियत दिनांक 02 मार्च, 2016 को प्रात: 11.00 बजे मेरे न्यायालय में सुनवाई की जावेगी.

2. अत: कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आपत्ति/आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के निकलने से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के दिन स्वयं या अपने अधिवक्ता या ऐजेन्ट द्वारा मेरे समक्ष में उपस्थित होंवे.

निर्धारित समय के समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	. .	श्री जोगणीया माता कुण्ड सेवा ट्रस्ट बरखेडाकला, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म. प्र.).
2. अचल सम्पत्ति का विवरण	. .	निरंक.
3. चल सम्पत्ति	. .	नगदी रुपये 21000/- जो वर्तमान में बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा आलोट में ट्रस्ट के खाता क्रमांक 9484420110000141 में जमा हैं.

आज दिनांक 02 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी.

वी. एस. चौहान,
अनुविभागीय अधिकारी.

(159)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, सागर

फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

आवेदक श्री राजेन्द्र कुमार जैन पिता श्री लक्ष्मीचंद्र जैन, निवासी सागर, अखिल भारतीय श्री 1008 दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट

कल्पना भवन सुभाषनगर, सागर म.प्र. तहसील सागर द्वारा नियम 4-1 मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर श्री 1008 दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट कल्पना भवन सुभाषनगर ट्रस्ट सागर मध्यप्रदेश न्यास के पंजीयन हेतु निवेदन किया है. जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 15 फरवरी, 2016 को प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	. .	श्री 1008 दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट कल्पना भवन सुभाषनगर, सागर (म. प्र.).
पता	. .	कल्पना भवन सुभाषनगर, सागर (म. प्र.).
चल/अचल सम्पत्ति	. .	सिंडिकेट बैंक में जमा राशि एफ. डी. आर. 40,000/-.

संतोष चंदेल,
अनुविभागीय अधिकारी.

(160)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

हाईकोर्ट ब्रांच मिनिट्रियल साख सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

हाईकोर्ट ब्रांच मिनिट्रियल साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./114, दिनांक 31 मार्च, 1962 है, के संबंध में कार्यालयीन अधिकारी श्री भूपेन्द्र पाल सिंह जादौन, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपो के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(139)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

जनरल इन्सोरेन्स साख सहकारी संस्था मर्या.,

ग्वालियर.

जनरल इन्सोरेन्स साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./412, दिनांक 13 जुलाई, 1983 है, के संबंध में

कार्यालयीन अधिकारी श्री भूपेन्द्र पाल सिंह जादौन, सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें आपकी संस्था को लगातार अकार्यशील एवं संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु अरुचिवान मानते हुए समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु अनुशंसा की गई है.

अत: संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 04 मार्च, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

संजय दलेला,
उपायुक्त (सहकारिता).

(139-A)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 22 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/130.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दहीवर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1510, दिनांक 27 मार्च, 2014 है. प्रबंधक, क्षेत्र संचालन इन्दौर, सहकारी दुग्ध संघ धार से निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची व अन्य दस्तावेज चाहे गये थे. वांछित जानकारी प्रस्तुत न करते हुए उनके द्वारा उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम, 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरुप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दहीवर को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(140)

धार, दिनांक 22 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/131.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करनावद, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1555, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 है. प्रबंधक, क्षेत्र संचालन इन्दौर, सहकारी दुग्ध संघ धार से निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची व अन्य दस्तावेज चाहे गये थे. वांछित जानकारी प्रस्तुत न करते हुए उनके द्वारा उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम, 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरुप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करनावद को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(140-A)

धार, दिनांक 22 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/132.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रुपाखेडा, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1497, दिनांक 12 मार्च, 2014 है. श्री जे. सी. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ उज्जैन से निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची व अन्य दस्तावेज चाहे गये थे. वांछित जानकारी प्रस्तुत न करते हुए उनके द्वारा उक्त संस्था को अकार्यशील व निर्वाचन कराने की स्थिति में नहीं होने संबंधी पत्र प्रेषित किया है. पत्रानुसार संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रुपाखेडा, तहसील बदनावर को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(140-B)

धार, दिनांक 22 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/133.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटा कठोडिया, तहसील बदनावर, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1498, दिनांक 12 मार्च, 2014 है. श्री जे. सी. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ उज्जैन से निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची व अन्य दस्तावेज चाहे गये थे. वांछित जानकारी प्रस्तुत न करते हुए उनके द्वारा उक्त संस्था को अकार्यशील व निर्वाचन कराने की स्थिति में नहीं होने संबंधी पत्र प्रेषित किया है. पत्रानुसार संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटा कठोडिया, तहसील बदनावर, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(140-C)

धार, दिनांक 22 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/134.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनारिया, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1541, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 है. प्रबंधक, क्षेत्र संचालन इन्दौर, सहकारी दुग्ध संघ धार से निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची व अन्य दस्तावेज चाहे गये थे. वांछित जानकारी प्रस्तुत न करते हुए उनके द्वारा उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनारिया को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(140-D)

धार, दिनांक 22 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/135.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुरा, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक 1553, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 है. प्रबंधक, क्षेत्र संचालन इन्दौर, सहकारी दुग्ध संघ धार से निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची व अन्य दस्तावेज चाहे गये थे. वांछित जानकारी प्रस्तुत न करते हुए उनके द्वारा उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनपुरा को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(140-E)

धार, दिनांक 30 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/192.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/376, धार, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा स्वस्तिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1251, दिनांक 12 जून, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. सी. मालवीय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत स्वस्तिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गाजनोद, तहसील बदनावर, जिला धार (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(140-F)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 12 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.-1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	अटल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बदनावर	1283/30-08-2011	27/04-01-2016
2.	श्यामला एग्रो को. ऑप. सह. संस्था मर्या., ढोलाना	1069/28-08-2001	30/04-01-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2016 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

आर. सी. मालवीय,
परिसमापक एवं व.स.नि. सहकारिता.

(141)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी समितियाँ, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 09 फरवरी, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./2016/60, दिनांक 14 जनवरी, 2016 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परि. में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	प्रा. पुलिस कर्म. उप. भण्डार मर्या., सीहोर	941/29-04-1989	60/14-01-2016
2.	प्रगतिशील उप. भण्डार मर्या., शुगर फेक्ट्री सीहोर	1260/26-07-2003	60/14-01-2016
3.	आदर्श प्रा. उप. भण्डार मर्या., बुधवारा आष्टा	971/31-12-1990	60/14-01-2016
4.	प्रगतिशील महिला उप. भण्डार मर्या., आष्टा	1092/30-12-1996	60/14-01-2016

अत: मैं, आर. सी. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(142)

सीहोर, दिनांक 09 फरवरी, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./2015/731, दिनांक 04 अगस्त, 2015 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परि. में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	बीज प्रक्रिया व विप. सह. संस्था मर्या., जसमत	1491/05-08-2010	731/04-08-2015

1	2	3	4
2.	बीज प्रक्रिया व विप. सह. संस्था मर्या., हकीमाबाद	1527/10-01-2011	731/04-08-2015
3.	प्रा. बीज उत्पा. प्र. एवं विप. सह. संस्था मर्या., कन्नौद मिर्जी	1568/27-09-2010	731/04-08-2015
4.	अनु. जाति बहुउद्देश्यीय सह. संस्था मर्या., भंवरा	1402/07-06-2008	731/04-08-2015
5.	समर्थ स्वा. व ग्रामीण वि. सह. संस्था मर्या., आष्टा	1490/29-09-2010	731/04-08-2015
6.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., बोरदी	1235/31-05-2003	731/04-08-2015
7.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., सेमरी	1236/31-05-2003	731/04-08-2015
8.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., पथोड़ा	1241/06-06-2003	731/04-08-2015
9.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., अनूपनगर	1245/27-06-2003	731/04-08-2015
10.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., चकल्दी	1246/19-06-2003	731/04-08-2015

अत: मैं, आर. सी. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आर. सी. रैकवाल,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(142-A)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/45.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2011/693, बड़वानी, दिनांक 24 नवम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापक माँ भगवती खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., ऊँचावदडेब, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 966, दिनांक 02 जून, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(143)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/46.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2013/469, बड़वानी, दिनांक 16 जुलाई, 2013 के द्वारा परिसमापक दुग्ध उत्पादक

सहकारी संस्था मर्या., सालखेड़ा, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 26 नवम्बर, 1997 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. सोलंकी, विस्तार पर्यवेक्षक, दुग्ध शीत केन्द्र, बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(143-A)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/47.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2013/469, बड़वानी, दिनांक 16 जुलाई, 2013 के द्वारा परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नन्दगांव, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1084, दिनांक 16 जनवरी, 1997 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एस. सोलंकी, विस्तार पर्यवेक्षक, दुग्ध शीत केन्द्र, बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(143-B)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/48.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2011/71, बड़वानी, दिनांक 17 जनवरी, 2011 के द्वारा परिसमापक लक्ष्मी ग्रा. महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., धमारिया, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 153, दिनांक 27 सितम्बर, 2003 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जे. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि, संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

के. एस. रघुवंशी,
सहायक रजिस्ट्रार.

(143-C)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., गोठनियाखुर्द का पंजीयन क्रमांक झाबुआ/1116, दिनांक 08 जुलाई, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धार-69 (3) के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2016/33 (ए), झाबुआ, दिनांक 20 जनवरी, 2016 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. एल. बडोले, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये है, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., गोठनियाखुर्द को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ओ. पी. पँवार, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08 फरवरी, 2016 को जारी किया गया है.

जी. एल. बडोले,
उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

(144)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3440.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1062, होशंगाबाद, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के द्वारा परि. नर्मदा स्वायत्त साख, अजेरा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 74, दिनांक 21 अप्रैल, 2006 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय ARCS होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010 दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये नर्मदा स्वायत्त साख, अजेरा, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 74, दिनांक 21 अप्रैल, 2006 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(145)

होशंगाबाद, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3441.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1062, होशंगाबाद, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के द्वारा परि. सिन्धु स्वायत्त साख, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 84, दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय ARCS होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये सिन्धु स्वायत्त साख, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 84, दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(145-A)

होशंगाबाद, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3442.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1062, होशंगाबाद, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के द्वारा परि. स्वायत्त साख, अजनेरी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 73, दिनांक 12 अप्रैल, 2006 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय ARCS होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये स्वायत्त साख, अजनेरी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 73, दिनांक 12 अप्रैल, 2006 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(145-B)

होशंगाबाद, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3443.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1064, होशंगाबाद, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के द्वारा परि. इंडो सेव स्वायत्त साख, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 70, दिनांक 29 अक्टूबर, 2005 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कु. विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय ARCS होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010 दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये इंडो सेव स्वायत्त साख, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 70, दिनांक 29 अक्टूबर, 2005 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(145-C)

होशंगाबाद, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3444.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1064, होशंगाबाद, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के द्वारा परि. भारती स्वायत्त साख, इटारसी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 55, दिनांक 06 अगस्त, 2004 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कु. विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय ARCS होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये भारती स्वायत्त साख, इटारसी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 55, दिनांक 06 अगस्त, 2004 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(145-D)

होशंगाबाद, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3445.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./701, होशंगाबाद, दिनांक 20 मार्च, 2014 के द्वारा शक्ति प्राथ. उप. भण्डार इटारसी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2646, दिनांक 09 मार्च, 1998 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. दुगाया, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये शक्ति प्राथ. उप. भण्डार इटारसी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2646, दिनांक 09 मार्च, 1998 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(145-E)

होशंगाबाद, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3446.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./702, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा परि. श्रीकृष्ण दुग्ध ताबू, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2977, दिनांक 22 जुलाई, 2007 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. दुगाया, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये श्रीकृष्ण दुग्ध ताबू, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2977, दिनांक 22 जुलाई, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(145-F)

होशंगाबाद, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3447.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1062, होशंगाबाद, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के द्वारा परि. माँ सरस्वती विणन सोहागपुर, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 96, दिनांक 13 नवम्बर, 2007 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय ARCS होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये माँ सरस्वती विणन सोहागपुर, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 96, दिनांक 13 नवम्बर, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

(145-G)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/270.-कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/30, दिनांक 07 जनवरी, 2016 से जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल की वित्तीय स्थिति एवं संचित हॉनि के आधार पर सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत बैंक को परिसमापन में लाये जाने हेतु नियमानुसार कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल के पत्र क्रमांक/लेखा/परिसमापन/2015/507, दिनांक 30 जनवरी, 2016 द्वारा बैंक की विशेष साधारण सभा दिनांक 28 जनवरी, 2016 की कार्यवाही विवरण की सत्यापित प्रति प्रेषित की गई है. बैंक की विशेष साधारण सभा दिनांक 28 जनवरी, 2016 में विषय क्रमांक एक में अधिनियम की धारा-76 के तहत बैंक को परिसमापन में लाये जाने पर विचार किया जाकर यह निर्णय लिया गया है कि बैंक की अंकेक्षण टीप वर्ष 2014-15 का अवलोकन किया गया है. जिसके अनुसार बैंक की अंशपूंजी 92,21,134.33 रुपये मात्र है. जिसके विरुद्ध बैंक 17,81,52,588.29 की संचित हॉनि में है. बैंक द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अपना ऋण व्यवसाय बन्द कर दिया गया है. बैंक का गठन जिन उद्देश्यों के लिये हुआ था उसकी पूर्ति बैंक करने में सक्षम नहीं रह गया है और इसका अस्तित्व में बने रहना आम सदस्यों के हित में उपयोगी नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल के रूप में मेरा यह समाधान हो गया है कि उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति एवं संचित हॉनि को दृष्टिगत रखते हुए बैंक का व्यवसाय आगे निरंतर जारी रखना बैंक एवं सदस्यों के व्यापक हित में नहीं है तथा बैंक की विशेष आमसभा दिनांक 28 जनवरी, 2016 में पारित निर्णय में भी यह सहमति बनी है कि बैंक संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं रहा है और इसको अस्तित्व में बनाए रखना आम सदस्यों के हित में उपयोगी नहीं रहा है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा मुझे प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 69-ए/क के प्रावधान के तहत जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश संबंधित को तामील हो एवं मध्यप्रदेश राजपत्र में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित हो.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और पदमुद्रा से आज दिनांक 30 जनवरी, 2016 को जारी किया गया.

(146)

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/271.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/29, दिनांक 07 जनवरी, 2016 से जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, विदिशा की वित्तीय स्थिति एवं संचित हाँनि के आधार पर सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत बैंक को परिसमापन में लाये जाने हेतु नियमानुसार कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, विदिशा के पत्र क्रमांक/स्था/परिसमापन/2016/616, दिनांक 01 फरवरी, 2016 द्वारा बैंक की विशेष साधारण सभा दिनांक 30 जनवरी, 2016 की कार्यवाही विवरण की सत्यापित प्रति प्रेषित की गई है. बैंक की विशेष साधारण सभा दिनांक 30 जनवरी, 2016 में विषय क्रमांक एक में अधिनियम की धारा-76 के तहत बैंक को परिसमापन में लाये जाने पर विचार किया जाकर यह निर्णय लिया गया है कि बैंक की अंकेक्षण टीप वर्ष 2014-15 का अवलोकन किया गया है. जिसके अनुसार बैंक की अंशपूंजी 7,42,88,429.25 रुपये मात्र है. जिसके विरुद्ध बैंक 60,86,17,472.21 की संचित हाँनि में है. बैंक द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अपना ऋण व्यवसाय बन्द कर दिया गया है. बैंक का गठन जिन उद्देश्यों के लिये हुआ था उसकी पूर्ति बैंक करने में सक्षम नहीं रह गया है और इसका अस्तित्व में बने रहना आम सदस्यों के हित में उपयोगी नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल के रूप में मेरा यह समाधान हो गया है कि उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति एवं संचित हाँनि को दृष्टिगत रखते हुए बैंक का व्यवसाय आगे निरंतर जारी रखना बैंक एवं सदस्यों के व्यापक हित में नहीं है तथा बैंक की विशेष आमसभा दिनांक 30 जनवरी, 2016 में पारित निर्णय में भी यह सहमति बनी है कि बैंक संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं रहा है और इसको अस्तित्व में बनाए रखना आम सदस्यों के हित में उपयोगी नहीं रहा है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा मुझे प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 69-ए/क के प्रावधान के तहत जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, विदिशा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, विदिशा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश संबंधित को तामील हो एवं मध्यप्रदेश राजपत्र में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित हो.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और पदमुद्रा से आज दिनांक 10 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

(146-A)

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/272.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/28, दिनांक 07 जनवरी, 2016 से जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायसेन की वित्तीय स्थिति एवं संचित हाँनि के आधार पर सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत बैंक को परिसमापन में लाये जाने हेतु नियमानुसार कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायसेन के पत्र क्रमांक/स्था./परिसमापन/2015/429, दिनांक 30 जनवरी, 2016 द्वारा बैंक की विशेष साधारण सभा दिनांक 30 जनवरी, 2016 की कार्यवाही विवरण की सत्यापित प्रति प्रेषित की गई है. बैंक की विशेष साधारण सभा दिनांक 30 जनवरी, 2016 में विषय क्रमांक एक में अधिनियम की धारा-76 के तहत बैंक को परिसमापन में लाये जाने पर विचार किया जाकर यह निर्णय लिया गया है कि बैंक की अंकेक्षण टीप वर्ष 2014-15 का अवलोकन किया गया है. जिसके अनुसार बैंक की अंशपूंजी 2,37,48,281.30 रुपये मात्र है. जिसके विरुद्ध बैंक 2,80, 45,8347.44 की संचित हाँनि में है. बैंक द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अपना ऋण व्यवसाय बन्द कर दिया गया है. बैंक का गठन जिन उद्देश्यों के लिये हुआ था उसकी पूर्ति बैंक करने में सक्षम नहीं रह गया है और इसका अस्तित्व में बने रहना आम सदस्यों के हित में उपयोगी नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल के रूप में मेरा यह समाधान हो गया है कि उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति एवं संचित हाँनि को दृष्टिगत रखते हुए बैंक का व्यवसाय आगे निरंतर जारी रखना बैंक एवं सदस्यों के व्यापक हित में नहीं है तथा बैंक की विशेष आमसभा दिनांक 30 जनवरी, 2016 में पारित निर्णय में भी यह सहमति बनी है कि बैंक संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं रहा है और इसको अस्तित्व में बनाए रखना आम सदस्यों के हित में उपयोगी नहीं रहा है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा मुझे प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 69-ए/क के प्रावधान के तहत जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायसेन को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश संबंधित को तामील हो एवं मध्यप्रदेश राजपत्र में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित हो.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और पदमुद्रा से आज दिनांक 30 जनवरी, 2016 को जारी किया गया.

(146-B)

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/273.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/26, दिनांक 07 जनवरी, 2016 से जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर की वित्तीय स्थिति एवं संचित हाँनि के आधार पर सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत बैंक को परिसमापन में लाये जाने हेतु नियमानुसार कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर के पत्र क्रमांक/स्था./परिसमापन/2015/653, दिनांक 29 जनवरी, 2016 द्वारा बैंक की विशेष साधारण सभा दिनांक 28 जनवरी, 2016 की कार्यवाही विवरण की सत्यापित प्रति प्रेषित की गई है. बैंक की विशेष साधारण सभा दिनांक 28 जनवरी, 2016 में विषय क्रमांक एक में अधिनियम की धारा-76 के तहत बैंक को परिसमापन में लाये जाने पर विचार किया जाकर यह निर्णय लिया गया है कि बैंक की अंकेक्षण टीप वर्ष 2014-15 का अवलोकन किया गया है. जिसके अनुसार बैंक की अंशपूंजी 7,42,88,429.25 रुपये मात्र है. जिसके विरुद्ध बैंक 44,18,99,481.42 की संचित हाँनि में है. बैंक द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अपना ऋण व्यवसाय बन्द कर दिया गया है. बैंक का गठन जिन उद्देश्यों के लिये हुआ था उसकी पूर्ति बैंक करने में सक्षम नहीं रह गया है और इसका अस्तित्व में बने रहना आम सदस्यों के हित में उपयोगी नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल के रूप में मेरा यह समाधान हो गया है कि उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति एवं संचित हाँनि को दृष्टिगत रखते हुए बैंक का व्यवसाय आगे निरंतर जारी रखना बैंक एवं सदस्यों के व्यापक हित में नहीं है तथा बैंक की विशेष आमसभा दिनांक 28 जनवरी, 2016 में पारित निर्णय में भी यह सहमति बनी है कि बैंक संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं रहा है और इसको अस्तित्व में बनाए रखना आम सदस्यों के हित में उपयोगी नहीं रहा है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा मुझे प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 69-ए/क के प्रावधान के तहत जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सीहोर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश संबंधित को तामील हो एवं मध्यप्रदेश राजपत्र में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित हो.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और पदमुद्रा से आज दिनांक 30 जनवरी, 2016 को जारी किया गया.

(146-C)

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/274.—कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/27, दिनांक 07 जनवरी, 2016 से जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, राजगढ़ की वित्तीय स्थिति एवं संचित हाँनि के आधार पर सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत बैंक को परिसमापन में लाये जाने हेतु नियमानुसार कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, राजगढ़ के पत्र क्रमांक/स्था./परिसमापन/2015/345, दिनांक 02 फरवरी, 2016 द्वारा बैंक की विशेष साधारण सभा दिनांक 28 जनवरी, 2016 की कार्यवाही विवरण की सत्यापित प्रति प्रेषित की गई है. बैंक की विशेष साधारण सभा दिनांक 28 जनवरी, 2016 में विषय क्रमांक एक में अधिनियम की धारा-76 के तहत बैंक को परिसमापन में लाये जाने पर विचार किया जाकर यह निर्णय लिया गया है कि बैंक की अंकेक्षण टीप वर्ष 2014-15 का अवलोकन किया गया है. जिसके अनुसार बैंक की अंशपूंजी 2,70,39,952.00 रुपये मात्र है. जिसके विरुद्ध बैंक 69,18,15,442.83 की संचित हाँनि में है. बैंक द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अपना ऋण व्यवसाय बन्द कर दिया गया है. बैंक का गठन जिन उद्देश्यों के लिये हुआ था उसकी पूर्ति बैंक करने में सक्षम नहीं रह गया है और इसका अस्तित्व में बने रहना आम सदस्यों के हित में उपयोगी नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग, भोपाल के रूप में मेरा यह समाधान हो गया है कि उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति एवं संचित हाँनि को दृष्टिगत रखते हुए बैंक का व्यवसाय आगे निरंतर जारी रखना बैंक एवं सदस्यों के व्यापक हित में नहीं है तथा बैंक की विशेष आमसभा दिनांक 28 जनवरी, 2016 में पारित निर्णय में भी यह सहमति बनी है कि बैंक संस्था के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं रहा है और इसको अस्तित्व में बनाए रखना आम सदस्यों के हित में उपयोगी नहीं रहा है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा मुझे प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 69-ए/क के प्रावधान के तहत जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, राजगढ़ को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजगढ़ को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश संबंधित को तामील हो एवं मध्यप्रदेश राजपत्र में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित हो.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और पदमुद्रा से आज दिनांक 10 फरवरी, 2016 को जारी किया गया.

आर. के. शर्मा,
संयुक्त पंजीयक.

(146-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप के कॉलम क्र. 02 में उल्लेखित सहकारी संस्थाएं जिनके पंजीयन क्र. कॉलम 04 में दर्शित हैं एवं कॉलम क्र. 05 अनुसार दर्शित कार्यालयीन आदेश क्रमांक से संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर कॉलम क्र. 06 में उल्लेखित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापकों द्वारा संस्थाओं की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन पंजीयन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है. अंतिम स्थिति विवरण पत्रक का सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर अंकेक्षण टीप निर्गमित की गई है. जिससे स्पष्ट है कि संस्था की देनदारियों एवं लेनदारियों का निराकरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 से निर्गमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) के रूप में नहीं रहेगा.

प्रारूप

क्र.	नाम संस्था	विकासखण्ड	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश क्र./ दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सेल्दा	बड़वाह	633/20-12-1983	245/01-12-2014	श्री मनोहर वास्कले, सह. विस्तार अधि.
2.	कान्हा महिला बहु. सह. संस्था मर्या., देजला.	भगवानपुरा	1525/25-08-2007	1317/29-10-2014	श्री बी.एल. सोलंकी, सह. विस्तार अधि.
3.	ऊँ सांई क्रेडिट को-ऑप. लिमिटेड खरगोन.	खरगोन	1822/10-03-2014	1592/22-12-2014	श्री आर.के. महाजन, सह. विस्तार अधि.
4.	राजश्री साख सह. संस्था मर्या., खरगोन	खरगोन	1793/10-03-2014	1592/22-12-2014	श्री आर.के. महाजन, सह. विस्तार अधि.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(147)

कार्यालय परिसमापक, श्री सिद्धि विनायक क्रेडिट को. ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमि., खरगोन

दिनांक 28 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्री सिद्धि विनायक क्रेडिट को. ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमि., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 67, दिनांक 10 मार्च, 2005 संशोधित क्र. 1769, दिनांक 10 मार्च, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/136, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहुकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(148)

कार्यालय परिसमापक, नानक साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन

दिनांक 28 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत]

नानक साख सहकारिता मर्यादित, खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 55, दिनांक 25 अगस्त, 2004 संशोधित क्र. 1757, दिनांक 10 मार्च, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/136, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहुकारगण किसी भी लाभ के बटवारें से वांछित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

नवीन मुहावरे,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(148-A)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मर्दाना, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन

दिनांक 28 जनवरी, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57-सी के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मर्दाना, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक/K.R.G.N./1416, दिनांक 12 अप्रैल, 2005 है, को उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/66, खरगोन, दिनांक 12 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बड़वाह एवं परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मर्दाना, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के

यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहुकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

मनोहर वास्कले,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(149)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015

संशोधित आदेश

क्र./परि./2015/1135.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1744, रायसेन, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 के द्वारा श्री बी. एस. धुर्वे, अंकेक्षण अधिकारी को काष्ठकला उद्योग, सहकारी संस्था मर्यादित, रेहटवास, तह. बेगमगंज, जिला रायसेन का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री धुर्वे का स्थानान्तरण जबलपुर होने के कारण उनके स्थान पर श्री पंचमसिंह ठाकुर, अंकेक्षण अधिकारी को काष्ठकला उद्योग, सहकारी संस्था मर्यादित, रेहटवास, तह. बेगमगंज, जिला रायसेन का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

(150)

रायसेन, दिनांक 09 सितम्बर, 2015

क्र./परि./15/868.—नर्मदा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, नूरगंज, तह. गौहरगंज, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/172, रायसेन, दिनांक 28 अगस्त, 2001 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था.

संस्था की विशेष आमसभा के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित कर संस्था के परिसमापक की अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है. परिसमापक के प्रतिवेदन संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण इस कार्यालय के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, श्री डी. बोरकर से कारावा गया. इस संस्था के पारित ऑडिट नोटों के आधार पर संस्था कार्यरत है तथा कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, रायसेन द्वारा वर्ष 02 अक्टूबर, 1994 से 10 वर्षों के लिए एवं 07 अगस्त, 2006 से भी 10 वर्ष के लिए तालाब आवंटित किये गये हैं. संस्था लगातार लाभप्रद स्थिति में है. संस्था को पुनर्जीवित किया जाना प्रस्तावित है.

अतः पारित प्रस्ताव/ठहराव एवं परिसमापक की अनुशंसा पर विचार कर सदस्यों की रुचि एवं उनके आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नर्मदा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, नूरगंज, तह. गौहरगंज, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक 562, दिनांक 19 अक्टूबर, 1994 को निम्नांकित शर्तों के अधीन पुनर्जीवित करता हूँ.

1. संस्था सतत कार्यशील रहेगी.
2. संस्था के द्वारा की गई प्रगति से कार्यालय को समय-समय पर अवगत कराया जाएगा.
3. संस्था सहकारी विधान अंतर्गत अपना रिकॉर्ड संधारण कर अंकेक्षण करायेगी.

संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार तदर्थ संचालक मण्डल तीन माह के लिये नामांकित करता हूँ—

1.	श्री मांगी लाल	अध्यक्ष
2.	श्री प्रहलाद सिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री दुर्गा प्रसाद	सदस्य
4.	श्री देवी राम	सदस्य
5.	श्री पन्ना लाल	सदस्य
6.	श्रीमती शोभा बाई	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक .....2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(150-A)

रायसेन, दिनांक 09 सितम्बर, 2015

क्र./परि./15/869.—श्री दुर्गा महिला प्रा. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., मण्डीदीप, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक 686, दिनांक 04 जनवरी, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1306, रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु संस्था के परिसमापक को आवेदन प्रस्तुत करने के फलस्वरूप परिसमापक द्वारा विषेष आमसभा आयोजित की गई. विशेष आमसभा के द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित कर संस्था के परिसमापक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है. परिसमापक के प्रतिवेदन संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण इस कार्यालय के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक श्री डी. बोरकर से कराया गया. श्री बोरकर द्वारा श्री दुर्गा महिला प्रा. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., मण्डीदीप, जिला रायसेन को पुनर्जीवित किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

अत: पारित प्रस्ताव/ठहराव एवं परिसमापक की अनुशंसा पर विचार कर सदस्यों की रुचि एवं उनके आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री दुर्गा महिला प्रा. सह. उपभोक्ता भण्डार मर्या., मण्डीदीप, जिला रायसेन, पंजीयन क्रमांक 686, दिनांक 04 जनवरी, 2000 को निम्नांकित शर्तों के अधीन पुनर्जीवित करता हूँ.

1. संस्था अविलंब उपविधि के अनुसार कार्य प्रारम्भ करेगी.
2. संस्था के द्वारा की गई प्रगति से कार्यालय को समय-समय पर अवगत कराया जाएगा.
3. संस्था सहकारी विधान अंतर्गत अपना रिकॉर्ड संधारण कर अंकेक्षण करायेगी.

संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार तदर्थ संचालक मण्डल तीन माह के लिये नामांकित करता हूँ—

1.	श्रीमती भाग्यवती बाई	अध्यक्ष
2.	श्रीमती आरती देवी	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती बीना बाई	सदस्य
4.	श्रीमती ललता बाई	सदस्य
5.	श्रीमती रानी बाई	सदस्य
6.	श्रीमती रेखा बाई	सदस्य
7.	श्रीमती सुधा श्रीवास्तव	सदस्य
8.	श्रीमती राधा बाई	सदस्य
9.	श्रीमती राम बाई	सदस्य
10.	श्रीमती जैठिया बाई	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक .....2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(150-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 07 सितम्बर, 2013 द्वारा वनखेतिहर मजदूर कामगार सह. संस्था मर्या., बुरानाबाद, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1387, दिनांक 25 मार्च, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश शेर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(151)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 143, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा आयरन एण्ड स्टील सह. संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 812, दिनांक 24 जुलाई, 1950 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एस. चौरसिया, वरि. सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसबाल,

उप-पंजीयक.

(151-A)

कार्यालय उपायक्त सहकारिता, जिला मुरैना

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत)

निम्न सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के धारा-60 के अन्तर्गत पंजीकृत है. इन संस्थाओं को कार्यालयीन पत्र क्र./परिसमापन/2015/निम्नलिखित, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 से मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु सूचना-पत्र जारी किये गये. 15 दिवस में उत्तर चाहा गया परन्तु उत्तर अप्राप्त रहा. साथ ही कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1994, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 से सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कराया गया जो मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 (1) में दिनांक 25 दिसम्बर, 2015 को प्रकाशित हुआ.

परन्तु संस्थाओं की ओर से कोई लिखित/मौखिक पक्ष समर्थन नहीं किया गया जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये पर्याप्त है कि संस्थाएं बंद हैं एवं इनके वर्तमान में कार्यशील होने की कोई कार्य योजना नहीं है. सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जिला मुरैना/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी द्वारा पूर्व में इन्हें परिसमान में लाये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि संस्थायें वित्तीय पत्रक के आधार पर अकार्यशील हैं. अत: निम्न संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 में प्रदत्त शक्तियां जो कि मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री रज्जांक खान, VEO/विजय गौतम, CEO, मुरैना, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना को परिसमापक नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि सहकारिता अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्थाओं की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जावे :-

क्र.	दुग्ध उत्पादक एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के नाम निम्नानुसार है	पंजीयन क्र. व दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचेखा	774/30-06-1988
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोठ	450/21-10-1980
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पायकापुरा	452/21-10-1980

1	2	3
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दौनारी	967/27-10-1993
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धोरेटा	1187/12-04-1982
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिलोजरी	703/07-11-1987
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सागोरिया	843/07-11-1989
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लहर्रा	709/07-11-1987
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मामचोन	705/07-11-1987
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रानपुर	449/21-10-1980
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इकहरा	1179/18-01-2002
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लगडिया	1184/31-01-1982
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शंकरपुर	551/27-05-1983
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिगोंनाकलां	1382/10-06-2004
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मैथाना	683/28-04-1987
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निरारा	713/7-11-1987
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोतीपुरा	1199/17-02-2003
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बूढबहरारा	718/12-12-1982
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ग्यासीपुरा	805/30-11-1988
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुलियाना	831/27-01-1989
21.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महराकी	888/16-05-1989
22.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पहाडी	909/09-11-1989
23.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरेह	458/21-10-1980
24.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अझेडा	462/12-12-1980
25.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुजानगढी	815/27-01-1989
26.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इटोरा	266/7-11-1989
27.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., साडुपुरा	1271/13-08-2004
28.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बंगसपुर	1308/25-06-2005
29.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अघन्नपुर	625/30-05-1986
30.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महादेवकापुरा	740/11-03-1988
31.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कसमडा	623/30-05-1986
32.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जलकानगरा	627/30-05-1986
33.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., विलौआ	706/07-11-1987
34.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कचनौधा	460/12-12-1980
35.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महचन्दपुर	679/24-04-1987
36.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिरमोरकापुरा	477/17-01-1981
37.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बघरोली	1319/06-12-2005

1	2	3
38.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थरा, अम्बाह	739/11-03-1988
39.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेमई	820/27-01-1989
40.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बस्तोली	1328/10-07-2006
41.	म.प्र. विद्युत कर्म. साख सं. मर्या., मुरैना	1114/30-12-1996
42.	मुरैना सह. प्रिंटिंग प्रेस मर्या., मुरैना	885/10-04-1989
43.	सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., मुरैना	126/05-08-1964
44.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., बाबरी अटार	1291/06-10-2004
45.	आदर्श चर्म उद्योग सह. मर्या., मुरैना	128/18-09-1964
46.	गंगापुर तेल उद्योग सह. संस्था, सिकरोदा	919/30-09-1989
47.	कैलादेवी महिला प्रा. उ. सह. भण्डार, अम्बाह	1131/01-09-1998
48.	नवीन मत्स्य उद्योग सह. संस्था मर्या., मुरैना	276/06-01-1967

यह आदेश आज दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. बाजपेई,
उप-आयुक्त, सहकारिता.

(152)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दमोह

दमोह, दिनांक 25 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/44.— दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मड़ला रामकुटी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 750, दिनांक 21 मार्च, 2012 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./10, हटा, दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है तथा संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153)

दमोह, दिनांक 25 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/44.— दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महंतपुर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 716, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./10, हटा, दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है तथा संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-A)

दमोह, दिनांक 25 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/44.— दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 753, दिनांक 21 मार्च, 2012 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./10, हटा, दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है तथा संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-B)

दमोह, दिनांक 25 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/44.— दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कादीपुर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 718, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./10, हटा, दिनांक 13 जनवरी, 2016 द्वारा लिखा गया है कि संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है तथा संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु लिखा गया है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भिलौनी, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 637, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हारट, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 643, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कांटी, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 685, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाठा, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 693, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वर्धा पौडी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 723, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./10, हटा, दिनांक 06 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रमपुरा धर्मपुरा, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 721, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों

से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजवार, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 712, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पाली, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 705, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तेवरईया, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 719, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उदयपुरा पुरैना, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 706, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरी, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 634, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महुआखेड़ा, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 689, दिनांक 11 जून, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरोदाकलां, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 754, दिनांक 21 मार्च, 2012 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बमुरिया, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 678, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों

से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुआरी, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 692, दिनांक 11 जून, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बमनपुरा, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., राजावंदी, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 725, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरतला, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 702, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडरीसहजपुर, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 717, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगुवां पतोलि, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 734, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पालर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 690, दिनांक 06 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुडिया, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 714, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों

से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 715, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(153-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटना, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 696, दिनांक 11 जून, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आनू, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 752, दिनांक 21 मार्च, 2012 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मारासूखी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 737, दिनांक 21 मार्च, 2012 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढिगसर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 727, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पायराखेडी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 749, दिनांक 21 मार्च, 2012 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खजरी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरिया महूना, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह, जिसका पंजीयन क्रमांक 745, दिनांक 21 मार्च, 2012 है. कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र हटा द्वारा पत्र क्र./क्यू./दु.शी.के./16, हटा, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था विगत 2-3 वर्षों

से अकार्यशील है तथा आपकी समिति में दुग्ध उत्पादन न्यूनतम होने से समिति संचालन में रुचि नहीं ली जा रही है संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है.

संस्था का यह दायित्व था कि वह संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य न करने तथा संस्था एवं सदस्यों के हित में कार्य न करने में रुचि न होने से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे दोपहर को मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि संस्था को उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की विधिवत कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 05 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-F)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— जय माता ईंधन आ. सहकारी समिति मर्या., हिण्डोरिया, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./532, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण /39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-G)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., विलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./522, दिनांक 18 सितम्बर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-H)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.—शक्ति महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., इमलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./520, दिनांक 30 अगस्त, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-I)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., छापरी, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./519, दिनांक 28 अगस्त, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-J)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., रनेह, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./610, दिनांक 03 नवम्बर, 2009 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-K)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., समनापुर, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./596, दिनांक 24 अप्रैल, 2008 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-L)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बैलवाड़ा, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./594, दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-M)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.—सरस्वती बहु. सहकारी समिति मर्या., तिरमुड़ा, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./589, दिनांक 24 अप्रैल, 2007 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-N)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पांजी पिड़रई, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./580, दिनांक 26 नवम्बर, 2005 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-O)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बम्होरी पांजी, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./579, दिनांक 26 नवम्बर, 2005 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-P)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— ग्राम स्तरीय महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हथना, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./567,

दिनांक 01 जून, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-Q)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— सहयोगी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., चंदोरा, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./575, दिनांक 11 मार्च, 2005 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-R)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— इंदिरा गाँधी बहु. सहकारी समिति मर्या., तेजगढ़, विकासखण्ड तेंदूखेड़ा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./561, दिनांक 27 सितम्बर, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-S)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पटेरा, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./562, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-T)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., भरतला, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./557, दिनांक 31 जुलाई, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-U)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.—माँ पार्वती बहु. सहकारी समिति मर्या., घाटपिपरिया, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./558, दिनांक 31 जुलाई, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-V)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हरपालपुरा, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./555, दिनांक 13 जून, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-W)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— संत रविदास महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बरखेराचेन, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./542, दिनांक 19 नवम्बर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-X)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— रानी दुर्गावती महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., चौपरा नदरई, विकासखण्ड पथरिया, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./539, दिनांक 13 नवम्बर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-Y)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सीहोरा पड़रिया, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./535, दिनांक 06 नवम्बर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(154-Z)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बरमासा, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./536, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(155)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., करैयाराख, विकासखण्ड पथरिया, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./538, दिनांक 12 नवम्बर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(155-A)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— गायत्री महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सेमरालखरोनी, विकासखण्ड पथरिया, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./550, दिनांक 26 मई, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(155-B)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.—भारत माता महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कुड़ई, विकासखण्ड पटेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./528, दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(155-C)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.—जय अम्बे महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हिरदेपुर, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र./528, दिनांक 23 अक्टूबर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(155-D)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— सरस्वती म. बहु. सहकारी समिति मर्या., स्नेह, विकासखण्ड हटा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र. 531, दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(155-E)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— ग्राम स्तरीय बहु. सहकारी समिति मर्या., सिंगपुर उमलाई, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र. 530, दिनांक 20 अक्टूबर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(155-F)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— ग्राम स्तरीय म. बहु. सहकारी समिति मर्या., बकायत, विकासखण्ड बटियागढ़, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र. 524, दिनांक 30 सितम्बर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(155-G)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— केशव ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., दमोह, विकासखण्ड दमोह, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र. 577, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(155-H)

दमोह, दिनांक 08 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि./16/87.— हितार्थ म. ईंधन सहकारी समिति मर्या., विजौरा खमरिया, विकासखण्ड जबेरा, जिला दमोह जिसका पंजीयन क्र. 576, दिनांक 05 जून, 2005 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, दमोह द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण 16/39, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था का यह दायित्व था कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें. लेकिन संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है तथा संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है, जिस कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: संस्था उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष समर्थन करना चाहती है या कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहती है तो दिनांक 29 फरवरी, 2016 को कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दमोह में समय 1.00 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रस्तुत न करने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. त्रिपाठी,
सहायक पंजीयक.

(155-I)

कार्यालय परिसमापक, जय काली फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या.,लुन्हार

दिनांक 27 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q-5.—जय काली फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., लुन्हार, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2053, दिनांक 02 जुलाई, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 37, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(156)

कार्यालय परिसमापक, जय श्रीराम फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या.,गुडीखेडा

दिनांक 27 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q-4.—जय श्रीराम फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुडीखेडा, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2052, दिनांक 02 जुलाई, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 36, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(156-A)

कार्यालय परिसमापक, जय भोले फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या.,वोरखेडाखुर्द

दिनांक 27 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q-3.—जय भोले फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या.,वोरखेडाखुर्द, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2055, दिनांक 01 अगस्त, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 35, दिनांक 02 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(156-B)

कार्यालय परिसमापक, श्री बालाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या.,इटवारैयत

दिनांक 27 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q-2.—श्री बालाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या.,इटवारैयत, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2057, दिनांक 01 अगस्त, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 05, दिनांक 03 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि

02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(156-C)

कार्यालय परिसमापक, सिंगाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या.,सेमल्या

दिनांक 27 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q-1.—सिंगाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सेमल्या, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 2054, दिनांक 27 जुलाई, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 07, दिनांक 02 अक्टूबर, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एम. श्रीवास्तव,
परिसमापक.

(156-D)

कार्यालय परिसमापक, परि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या.,बामानेर

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q-1.—परि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या.,बामानेर, तहसील मनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/647, दिनांक 15 मार्च, 1985 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/375, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(157)

कार्यालय परिसमापक, परि. आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या.,सराय

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

परि. आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या.,सराय, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/699, दिनांक 10 दिसम्बर, 1997

है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/373, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(157-A)

कार्यालय परिसमापक, परि. गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदाखुर्द

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

परि. गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदाखुर्द, तहसील धार, जिला धार, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1237, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/369, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(157-B)

कार्यालय परिसमापक, परि. मालवा साख सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

परि. मालवा साख सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1096, दिनांक 14 मार्च, 2002 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/368, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(157-C)

कार्यालय परिसमापक, परि. माँ शारदा रेडिमेड सिलाई वस्त्रोद्योग एवं गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

परि. माँ शारदा रेडिमेड सिलाई वस्त्रोद्योग एवं गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1104, दिनांक 20 जून, 2002 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/377, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(157-D)

कार्यालय परिसमापक, परि. माँ नर्मदा सा. उद्‌वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., जाटपुर

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

परि. माँ नर्मदा सा. उद्‌वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., जाटपुर, तहसील मनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/11064, दिनांक 06 जून, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/366, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(157-E)

कार्यालय परिसमापक, परि. माँ दुर्गा आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलरझिरी

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

परि. माँ दुर्गा आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलरझिरी, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1300, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/907, दिनांक 23 जून, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि

हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(157-F)

कार्यालय परिसमापक, परि. उर्वशी कामगार सहकारी संस्था मर्या., धार

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

परि. उर्वशी कामगार सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1079, दिनांक 05 अक्टूबर, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/906, दिनांक 23 जून, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(157-G)

कार्यालय परिसमापक, परि. वैष्णव बैरागी साख सहकारी संस्था मर्या., धार

दिनांक 06 फरवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

परि. वैष्णव बैरागी साख सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील धार, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक DR/DHR/1042, दिनांक 15 सितम्बर, 1999 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के आदेश क्रमांक परि./2015/905, दिनांक 23 जून, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एम. पेंढारकर,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(157-H)

कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., नरसिंहपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 998 है को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/संपंज/विधि/2015/1546, जबलपुर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को जारी किया जाकर जवाब

देने हेतु 15 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में बैंक द्वारा पत्र क्रमांक/स्था./667, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 से पक्ष प्रस्तुत किया गया. प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है. बैंक के वित्तीय पत्रक अनुसार 30 जून, 2015 की स्थिति में कालातीत ऋण 814.32 लाख रु., ब्याज 1336.68 लाख रु. कुल 2151.00 लाख रु. है. वर्ष 2013-14 में वसूली 20 प्रतिशत एवं वर्ष 2014-15 में 13 प्रतिशत रही संचित हानि राशि रु. 1729.26 लाख है. स्थापना व्यय 2.88 प्रतिशत है जो निर्धारित मापदण्ड से अधिक है. अनेक वर्षों से ऋण वितरण नहीं हो रहा है. अत: बैंक की उक्त आर्थिक स्थिति के कारण मेरे मत से बैंक को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, पी. एस. तिवारी, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रेदश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., नरसिंहपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 998 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत उप-आयुक्त सहकारिता, नरसिंहपुर को बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि उप-आयुक्त सहकारिता, नरसिंहपुर, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(127)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सिवनी जिसका पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 28 जनवरी, 1967 है को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/संपंज/विधि/2015/1549, जबलपुर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 15 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में बैंक द्वारा पत्र क्रमांक/स्था./509, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 से पक्ष प्रस्तुत किया गया. प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है. बैंक के वित्तीय पत्रक अनुसार 30 जून, 2015 की स्थिति में कालातीत ऋण अवशेष 736.60 लाख रु., ब्याज 1027.65 लाख रु. एवं कुल 1764.25 लाख रु. है. वर्ष 2013-14 में वसूली का प्रतिशत 9 एवं वर्ष 2014-15 में 6 प्रतिशत रहा. प्रबंधकीय स्थापना व्यय 5.16 प्रतिशत, संचित हानि 2177.81 लाख रु. है. ऋण वितरण अनेक वर्षों से नहीं किया जा रहा है. अत: बैंक की उक्त आर्थिक स्थिति के कारण मेरे मत से बैंक को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, पी. एस. तिवारी, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रेदश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सिवनी जिसका पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 28 जनवरी, 1967 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत उप-आयुक्त सहकारिता, सिवनी को बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि उप-आयुक्त सहकारिता, सिवनी, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(127-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., बालाघाट जिसका पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 25 अक्टूबर, 1962 है को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/संपंज/विधि/2015/1548, जबलपुर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 15 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में बैंक द्वारा पत्र क्रमांक/स्था./189, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 से पक्ष प्रस्तुत किया गया. प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है. बैंक के वर्ष 2014-15 के वित्तीय पत्रक अनुसार दिनांक 30 जून, 2015 की स्थिति में कालातीत ऋण 596.20 लाख रु. एवं ब्याज 894.62 लाख रु. कुल 1490.32 लाख रु. है. मात्र 13 प्रतिशत वसूली पश्चात् कालातीत ऋण 510.30 लाख रु. ब्याज 992.59 लाख रु. कुल 1303.39 लाख रु. है. ऋण वितरण अनेक वर्षों से नहीं किया जा रहा है. वर्ष 2011-12 में 34 प्रतिशत वर्ष 2012-13 में 25 प्रतिशत एवं 2013-14 में 22 प्रतिशत वसूली है. बैंक अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रही है एवं संचित हानि 728.75 लाख रु. है. बैंक का व्यवस्थापन व्यय वर्ष 2012-13 में 4.94 प्रतिशत, वर्ष 2013-14 में 6.81 प्रतिशत एवं वर्ष 2014-15 में 7.78 प्रतिशत हो गया है जो पंजीयक के निर्धारित मापदण्ड से अत्याधिक है. अत: बैंक की उक्त आर्थिक स्थिति के कारण मेरे मत से बैंक को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, पी. एस. तिवारी, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रेदश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., बालाघाट पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 25 अक्टूबर, 1962 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत उप-आयुक्त सहकारिता, बालाघाट को बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि उप-आयुक्त सहकारिता, बालाघाट, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(127-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., छिन्दवाड़ा, जिसका पंजीयन क्रमांक 101, दिनांक 16 मई, 1963 है को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/संपंज/विधि/2015/1547, जबलपुर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 15 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में बैंक द्वारा पत्र क्रमांक/स्था./558, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 से पक्ष प्रस्तुत किया गया. प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है. बैंक के वित्तीय पत्रक अनुसार 30 जून, 2015 की स्थिति में कालातीत ऋण 1106.90 लाख रु. एवं ब्याज 2053.40 लाख रु. एवं कुल 3160.30 लाख रु. वसूली 6 प्रतिशत मात्र है. वर्ष 2013-14 में 12 प्रतिशत वसूली है. संचित हानि 1293.93 लाख रु. तथा स्थापना व्यय 5.49 प्रतिशत है जो अत्यधिक है. ऋण वितरण अनेक वर्षों से नहीं किया जा रहा है. अत: बैंक की उक्त आर्थिक स्थिति के कारण मेरे मत से बैंक को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, पी. एस. तिवारी, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रेदश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., छिन्दवाड़ा, पंजीयन क्रमांक 101, दिनांक 16 मई, 1963 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत उप-आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा को बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि उप-आयुक्त सहकारिता, छिन्दवाड़ा, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(127-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मण्डला, जिसका पंजीयन क्रमांक 117, दिनांक 28 नवम्बर, 1967 है को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/संपंज/विधि/2015/1586, जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 15 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में बैंक द्वारा पत्र क्रमांक/स्था./469, दिनांक 14 जनवरी, 2016 से पक्ष प्रस्तुत किया गया. प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है. बैंक के वित्तीय पत्रक अनुसार 30 जून, 2015 की स्थिति में कालातीत ऋण 657.68 लाख रु., ब्याज 1227.50 लाख रु. कुल 1948.79 लाख रु. है. वर्ष 2013-14 में कालातीत वसूली 8 प्रतिशत एवं वर्ष 2014-15 में 2.88 प्रतिशत रही. संचित हानि राशि रु. 1438.36 लाख है. स्थापना व्यय कार्यशील पूंजी से 1.54 प्रतिशत है एवं सकल आय से 13.33 प्रतिशत है. अनेक वर्षों से ऋण वितरण नहीं हो रहा है. अत: बैंक अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति ना करने से उक्त आर्थिक स्थिति के कारण मेरे मत से बैंक को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, पी. एस. तिवारी, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रेदश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., मण्डला, पंजीयन क्रमांक 117, दिनांक 28 नवम्बर, 1967 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत सहायक-आयुक्त सहकारिता, मण्डला

को बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि सहायक-आयुक्त सहकारिता, मण्डला को, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

पी. एस. तिवारी,
संयुक्त रजिस्ट्रार.

(127-D)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/2155.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनोरा, पंजीयन क्रमांक 1507, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव द्वारा दी गई है. जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है एवं सचिव द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनोरा, पंजीयन क्रमांक 1507, दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. विश्वकर्मा, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(128)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/2156.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कवड़िया पंजीयन क्रमांक 1297, दिनांक 07 मार्च, 2013 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव द्वारा दी गई है. जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है एवं सचिव द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कवड़िया पंजीयन क्रमांक 1297, दिनांक 07 मार्च, 2013 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री परमानंद, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(128-A)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/2157.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हायडी पंजीयन क्रमांक 1502, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव द्वारा दी गई है. जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है

एवं सचिव द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हायडी पंजीयन क्रमांक 1502, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(128-B)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/2158.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बुरूट, पंजीयन क्रमांक 1475, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव द्वारा दी गई है. जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है एवं सचिव द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बुरूट, पंजीयन क्रमांक 1475, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. के. राठौर, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(128-C)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/2159.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रंधनखेडी पंजीयन क्रमांक 1176, दिनांक 10 मई, 2007 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-49 (8)(2) (ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वत: रिक्त माने जाकर श्री एस. एल. अग्रवाल, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ इन्दौर को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अधिनियम अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् 6 माह की कालावधि में संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने थे. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रूचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रंधनखेडी पंजीयन क्रमांक 1176, दिनांक 10 मई, 2007 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एल. अग्रवाल, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(128-D)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/2160.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फतनपुर पंजीयन क्रमांक 1195, दिनांक 31 जनवरी, 2008

(जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-49 (8)(2) (ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वत: रिक्त माने जाकर श्री एस. एल. अग्रवाल, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ इन्दौर को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अधिनियम, अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् 6 माह की कालावधि में संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने थे. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रुचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फतनपुर पंजीयन क्रमांक 1195, दिनांक 31 जनवरी, 2008 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एल. अग्रवाल, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(128-E)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/2161.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उपडीगुर्जर पंजीयन क्रमांक 1086, दिनांक 03 अगस्त, 2004 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-49 (8)(2) (ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वत: रिक्त माने जाकर श्री एस. एल. अग्रवाल, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अधिनियम, अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् 6 माह की कालावधि में संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने थे. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रुचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उपडीगुर्जर पंजीयन क्रमांक 1086, दिनांक 03 अगस्त, 2004 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एल. अग्रवाल, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(128-F)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/2166.—माँ रेवा रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., मुरझाल, पंजीयन क्रमांक 805, दिनांक 03 मई, 1996 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-49 (8)(2) (ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वत: रिक्त माने जाकर श्री आई. एम. कुरेशी, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला देवास को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अधिनियम, अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् 6 माह की कालावधि में संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने थे. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रुचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ रेवा रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., मुरझाल

पंजीयन क्रमांक 805, दिनांक 03 मई, 1996 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धर्मेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(128-G)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/2167.—माँ चामुण्डेश्वरी कुटकुट पालन सहकारी संस्था मर्या., अगेरा, पंजीयन क्रमांक 1205, दिनांक 01 जनवरी, 2008 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-49 (8)(2) (ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वत: रिक्त माने जाकर श्री डी. के. शर्मा, उप-अंकेक्षक, सहकारिता, जिला देवास को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अधिनियम अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् 6 माह की कालावधि में संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने थे. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रुचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ चामुण्डेश्वरी कुटकुट पालन सहकारी संस्था मर्या., अगेरा, पंजीयन क्रमांक 1205, दिनांक 01 जनवरी, 2008 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. गोठवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(128-H)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/2168.—नोबल मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 843, दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-49 (8)(2) (ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वत: रिक्त माने जाकर श्री आर. एस. ठाकुर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला देवास को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अधिनियम अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् 6 माह की कालावधि में संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने थे. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रुचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोबल मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 843, दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धर्मेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(128-I)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/2169.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिछी, पंजीयन क्रमांक 935, दिनांक 29 मार्च, 2001 (जिसे आगे केवल

संस्था कहा गया है) में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त होने के पश्चात संस्था द्वारा निर्वाचन न कराये जाने एवं संस्था काफी समय से बंद होने की जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संस्था सचिव द्वारा दी गई है. जिससे संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है एवं सचिव द्वारा जानकारी दी जाने से अधिनियम की धारा-69 (3) का पालन होता है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिछी, पंजीयन क्रमांक 935, दिनांक 29 मार्च, 2001 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(128-J)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 25 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

भास्कर प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., देवास.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1374, दिनांक 8 जून, 2013.

क्र./परि./2016/117.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 11 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरछाखुर्द.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1384, दिनांक 06 जनवरी, 2014.

क्र./परि./2016/131.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-A)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सवांसडी.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1291, दिनांक 07 फरवरी, 2013.

क्र./परि./2016/132.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-B)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लीली.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1310, दिनांक 30 मार्च, 2013.

क्र./परि./2016/133.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-C)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोला.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1311, दिनांक 30 मार्च, 2013.

क्र./परि./2016/134.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-D)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांकरिया.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1385, दिनांक 6 जनवरी, 2014.

क्र./परि./2016/135.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-E)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटासा.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1386, दिनांक 6 जनवरी, 2014.

क्र./परि./2016/136.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-F)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दूधवास.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1393, दिनांक 30 जनवरी, 2014.

क्र./परि./2016/137.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-G)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मेहदूल.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1394, दिनांक 30 जनवरी, 2014.

क्र./परि./2016/138.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-H)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाबरी.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1396, दिनांक 30 जनवरी, 2014.

क्र./परि./2016/139.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-I)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रन्था.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1422, दिनांक 15 मई, 2014.

क्र./परि./2016/140.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-J)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खारिया.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1438, दिनांक 19 जून, 2014.

क्र./परि./2016/141.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-K)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नान्दी.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1466, दिनांक 2 जुलाई, 2014.

क्र./परि./2016/142.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-L)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिवड़िया.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1455, दिनांक 18 जुलाई, 2014.

क्र./परि./2016/143.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-M)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिपरास.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1460, दिनांक 21 जुलाई, 2014.

क्र./परि./2016/144.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-N)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कर्णाबुजुर्ग.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1456, दिनांक 18 जुलाई, 2014.

क्र./परि./2016/145.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-O)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुरोनी.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1469, दिनांक 4 अगस्त, 2014.

क्र./परि./2016/146.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-P)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मैसून.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1476, दिनांक 1 सितम्बर, 2014.

क्र./परि./2016/147.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-Q)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अडानिया.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1500, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014.

क्र./परि./2016/148.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-R)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुनगासा.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1514, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014.

क्र./परि./2016/149.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-S)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरियाताहू.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1016, दिनांक 9 जुलाई, 2002.

क्र./परि./2016/150.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-T)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सिलकोटखेड़ा.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1468, दिनांक 04 अगस्त, 2014.

क्र./परि./2016/151.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-U)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खपरास.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1450, दिनांक 10 जुलाई, 2014.

क्र./परि./2016/152.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-V)

देवास, दिनांक 28 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिर्लादा.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1515, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014.

क्र./परि./2016/153.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(129-W)

देवास, दिनांक 29 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डाबर.

द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी

पंजीयन क्रमांक 1398, दिनांक 3 फरवरी, 2014.

क्र./परि./2016/180.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(129-X)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 31 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1232.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2010/92, धार, दिनांक 21 जनवरी, 2010 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहारी, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1114, दिनांक 05 जुलाई, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. बी. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहारी, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(131-A)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2016-फाल्गुन 7, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छदित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, मुरैना, जोरा (मुरैना), श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार, मिहोनारोन (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), पोहरी (शिवपुरी), निवाड़ी, जतारा, टीकमगढ़, वल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, पवई, शाहनगर (पन्ना), सागर, रहली, देवरी (सागर), नागौद, रघुराजनगर, उचेहरा, रामनगर, बिरसिंहपुर (सतना), जेतहरी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), गोपदबनास, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), जावरा, सैलाना, बाजना, रतलाम (रतलाम), घटिया (उज्जैन), शाजापुर, शुजालपुर, गुलाना (शाजापुर), मेघनगर, झाबुआ (झाबुआ), वैरागढ़ (भोपाल), पचमढ़ी (होशंगाबाद), निवास, बिछिया, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी, बजाग (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, पांढुर्ना, अमरवाड़ा, चौरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, लखनादौन, बरघाट, घन्सौर, (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील कैलारस (मुरैना), डबरा (ग्वालियर), करैरा (शिवपुरी), चन्देरी (अशोकनगर), गुन्नौर (पन्ना), बंडाशाहगढ़ (सागर), मैहर (सतना), कालापीपल (शाजापुर), थांदला, राणापुर (झाबुआ), सीहोर (सीहोर), शाहपुरा (डिण्डोरी), बिछुआ, सोंसर, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा),घनोरा, छुपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील सबलगढ़ (मुरैना), शिवपुरी (शिवपुरी), केवलारी (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सागर, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, झाबुआ, सीहोर, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला झाबुआ में फसल गेंहू, चना व श्योपुर, ग्वालियर, सागर, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, आगर, सीहोर, जबलपुर, सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला होशंगावाद, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी में फसल धान व दतिया में तिल, उड़द, मूंग, मक्का व पन्ना, सीधी, खरगौन व सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 28 अक्टूबर, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	7.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	4.0				
4. जौरा	5.0				
5. सबलगढ़	43.0				
6. कैलारस	30.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	4.0.		4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	8.5		उड़द, मूँग, सोयाबीन.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	8.0		(2) . .		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	4.0				
4. मेहगांव	10.0				
5. लहार	7.2				
6. मिहोना	8.0				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	4.4		4. (1) गन्ना अधिक. उड़द, मूँगमोठ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	34.8		तुअर, मूँगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई व तिल, उड़द, मूँग, मक्का की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	48.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	28.0				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	4.0				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	22.0				
5. शाढौरा	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	2.0		4. (1) ज्वार बिगड़ी हुई. गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .		
3. जतारा	5.0				
4. टीकमगढ़	5.0				
5. बल्देवगढ़	8.0				
6. पलेरा	12.0				
7. ओरछा	2.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	2.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	5.0				
4. छतरपुर	10.6				
5. राजनगर	4.6				
6. बिजावर	8.0				
7. बड़ामलहरा	4.2				
8. बकस्वाहा	13.2				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	1.8		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	6.0		(2) . .		
3. गुन्नौर	24.0				
4. पवई	10.0				
5. शाहनगर	6.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	20.2				
4. सागर	0.6				
5. रेहली	0.3				
6. देवरी	6.0				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	30.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) ज्वार, तुअर, धान समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	6.8		4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द, तिल कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	14.3				
5. उचेहरा	5.0				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	15.0				
8. मैहर	20.0				
9. बिरसिंहपुर	15.0				
***जिला रीवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर		3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .	2. . .	4. (1) धान, मक्का, चना, को. कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		सोयाबीन, तुअर, उड़द, राई-सरसों,	चारा पर्याप्त.	
3. गोहपारु	. .		गेहूँ, मसूर, मटर कम.		
4. जैसिंहनगर	. .		(2) . .		
5. बुढार	. .				
6. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	2.7	चालू है.	4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		राई, अलसी, चना, गेहूँ कम.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	2.1				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	2.1	चालू है.	4. (1) मक्का, ज्वार, तिल, को. कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		उड़द, मूँगफली, तुअर, बाजरा अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		धान, मूँग, रामतिल, सोयाबीन कम.		
			(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रवी की बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	11.8		4. (1)चना, अलसी, राई, सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	15.0				
6. रामपुरनैकिन	2.1				
***जिला सिंगरौली :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) सोया- अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. तिल, तुअर, मूँगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	6.0		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	4.2				
4. बाजना	9.0				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	4.2				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	8.0				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	2.2		(2) . .		
3. शुजालपुर	4.0				
4. कालापीपल	19.0				
5. गुलाना	8.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ, चना की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	18.4		4. (1) मक्का, सोयाबीन, धान कम. कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	12.0				
3. पेटलावद	. .		(2) . .		
4. झाबुआ	16.5				
5. राणापुर	30.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) मक्का, मूँगफली, सोयाबीन, अधिक. ज्वार, बाजरा, उड़द, कपास तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .				
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .		(2) . .		
5. उदयगढ़	. .				
6. च. शे. आ. नगर	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .				
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .		(2) . .		
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) सोयाबीन, उड़द.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन, मूँग, मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बैरागढ़	3.2		तुअर, धान समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	21.0	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .				
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. मूँगमोठ, उड़द, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .				
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	2.4				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .		4. (1) धान अधिक. मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .				
3. जबलपुर	. .		(2) . .		
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) धान, तुअर, कोदों, ज्वार	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, उड़द, गन्ना, मूँग.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	6.6		4. (1) मक्का, सन, तिल, धान, उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी, सोयाबीन. समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	15.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	9.2				
5. घुघरी	6.7				
6. नारायणगंज	17.1				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	3.0		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	16.2		(2) . .		
3. शाहपुरा	21.0				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	9.2		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	0.8		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	29.0				
6. पांढुर्णा	1.6				
7. अमरवाड़ा	11.2				
8. चौरई	6.4				
9. बिछुआ	18.4				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	17.4		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, तिल, सन् अधिक. धान, ज्वार, को.-कुटकी, सोयाबीन, गन्ना कम. मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	44.4				
3. लखनादौन	2.5				
4. बरघाट	6.2				
5. उरई	. .		(2) . .		
6. घंसौर	16.0				
7. घनोरा	22.4				
8. छपारा	20.5				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, रीवा, सिंगरौली, देवास, खण्डवा, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(132)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित--2016.